Land Less Higher Education

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति

उद्देश्य – म.प्र. के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा के अध्ययन के लिये।

(1) पात्रता :–

1. म.प्र. का मूल निवासी हो।
2. केवल वे ही छात्र पात्र होंगें जिन्होनें वर्ष 2009–10 में हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। (हाई स्कूल 10 वीं) हायर सेकेन्ड्री (10+2)
4. भूमिहीन कृषक मजदूर के पुत्र/पुत्री हो इसका प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो।
5. छात्र–छात्राओं के पालकों को आय सीमा रूपये 25,000/–(पच्चीस हजार मात्र) वार्षिक से अधिक न हो । इस हेतु आय प्रमाण पत्र तहसीलदार का मान्य किया जावेगा ।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो।

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा से संबधित निम्न पाठ्यक्रम/संकाय सम्मिलित है :–

1. पॉलिटेकनिक
2. इंजीनियरिंग – बी. ई.
3. चिकित्सा शिक्षा (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.डी.एस.)
4. पैरामेडिकल कोर्स (चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत)
5. कृषि इंजीनियरिंग (बी.ई.ए.जी., डी.ई.ए.जी.)
6. बी.एससी.नर्सिंग
7. सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे हों, जैसे :– बी.लिब. बी.एड., बी.पीएड., बी.ए.एलएल.बी. आदि।

(2) छात्रवृत्ति की राशि :–

इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु प्रति वर्ष 2,500/– (दो हजार पाँच सौ मात्र) की छात्रवृत्ति देय होगी।

ये छात्रवृत्ति चयनित छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्राप्त होगी अर्थात् स्नातक अंतिम वर्ष तक प्रदाय की जायेगी।

(3) चयन :–

इस छात्रवृत्ति का चयन एक समिति द्वारा केवल छात्रवृत्ति को समय सीमा में योग्यता के आधार पर अर्थात् मेरिट के आधार पर उस वर्ष की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से ही किया जावेगा ।

(4) नवीनीकरण :–

विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक कार्य निष्पादन, संतोषजनक प्रगति एवं आचरण नियमित उपस्थिति तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद समुचित प्रतिपूर्ति के पश्चात नवीनीकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये जायेगें। इस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक संबंधित प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों से छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त कर छात्रवृत्ति देना सुनिश्चित करेगें। नवीनीकरण हेतु छात्र–छात्रायें अपने आवेदन संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को भेजे जावेगें।

(5) अन्य शर्तें :–

छात्रवृत्ति धारक जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हैं उसके लिए अन्य कोई छात्रवृत्ति अथवा वजीफा प्राप्त नहीं करेगा, यदि ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही होगी तो उसे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए ऐसी छात्रवृत्ति छोड़ना पडेंगी। अर्थात् एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

राज्य शासन की एकीकृत छात्रवृत्ति (Unified Higher Education)

शिक्षा सत्र 2010–11 में छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्तियों के आवेदन संस्था प्रमुखों के माध्यम से नीचे दिये गये पते पर दी गई समय सीमा अधिकतम दिनाँक 31.10.2010 तक प्राप्त हो जाने चाहियें।

पात्रता/शर्तें –

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. तथा म.प्र. के विश्वविद्यालयों से वर्ष 2009–10 में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं को ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता होगी।
2. यह छात्रवृत्तिया केवल सामान्य शिक्षा के छात्रों के लिये दी जाती है ।
3. सामान्य शिक्षा के लिये स्वीकृत एकीकृत छात्रवृत्ति, व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश पाने पर स्थानांतरित नहीं की जावेगी।
4. संस्कृत छात्रवृत्ति के लिये केवल प्राच्य पद्वति के संस्कृत महाविद्यालयों के छात्रों के ही आवेदन मान्य किये जावेगें।
5. एकीकृत छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय 25,000/– से अधिक न हो।
6. वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारी अभिभावकों को आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिये।
7. अन्य आय वर्गीय व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा आय घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
8. छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र संस्था प्रमुखों के माध्यम से समय सीमा दिनाँक 30.9.10 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. इच्छुक छात्र–छात्रायें अपने शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर भेजें। आवेदन पत्र संचालनालय को भेजने के पूर्व संस्था प्रमुख

उन्हें भेजी गई छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका के अध्याय–3 पृष्ठ 28–29 में दी गई प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें।

10. चाही गई छात्रवृत्ति का नाम आवेदन के ऊपरी भाग में बडे अक्षरों में लिखें।
11. अग्रेषणकर्ता संस्था प्रमुख द्वारा आय सीमा से अधिक के आवेदनों पर बड़े अक्षरों में आय सीमा की बडी रबर मोहर आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर लगायें।
12. संकायवार छात्रवृत्ति का विवरण निम्न अनुसार है :–

सं. क्रं.	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र/छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
1	शोध	विज्ञान कला वाणिज्य	9 7 2	600/–	1. म.प्र. में किसी विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिये पंजीयन आर.डी. सी.में साक्षात्कार के उपरांत किया हो। 2. पी.जी. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
2	एम.फिल.	विज्ञान कला वाणिज्य	7 6 1	300/–	स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
3	स्नातकोत्तर योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/–	वर्ष 2009–10 में स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
4	स्नातकोत्तर योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/–	वर्ष 2009–10 में स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
5	खेलकूद	छात्र छात्रायें	11 11	150/–	जो छात्र म.प्र. की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल में रहे हो या जो प्रदेश की व्यस्क टीम में हो या प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हों।
6	स्नातक योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/–	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2009–10 में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।

7	स्नातक योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/–	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2009–10 में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
8	फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान पुणे	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्रों द्वारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।
9	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्रों द्वारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।
10	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्रों द्वारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।
11	संस्कृत छात्रवृत्तियॉ	1.स्नातकोत्तर (एम.ए. क्लासिक)	07	250/–	वर्ष 2009–10 को उपाधि परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।
		2.आचार्य	07	250/–	वर्ष 2009–10 में शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		3. स्नातक (बी.ए. क्लासिक)	11	150/–	10+2 की वर्ष 2009–10 में शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		4. शास्त्री	18	150/–	10+2 की वर्ष 2009–10 में शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		5.उत्तर मध्यमा	33	75/–	पूर्व मध्यमा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।
		6. पूर्व मध्यमा	33	75/–	प्रथमा अथवा समकक्ष में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		7.प्रथमा	91	50/–	पाँचवी परीक्षा में योग्यता के आधार पर प्रथम 91 छात्र–छात्राओं को

Travelling Allowance to Girls Students

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक– 149/2612/2009/2–38/ भोपाल, दिनांक–29.01.2010

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय कन्या महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

1. छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

राज्य शासन शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसी छात्राऐं जो शैक्षणिक स्थल से 05 किलोमीटर एवं इससे अधिक की दूरी पर निवास करती है उन्हें शैक्षणिक स्थल तक पहुॅचने के लिए आवागमन में कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए योजना प्रारंभ की जा रही है । यह योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से लागू होगी मानी जावेगी ।

2. योजना हेतु पात्रता एवं मापदण्ड–

- इस योजना में शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं को शामिल किया जावेगा तथा योजना स्नातक स्तर पर लागू होगी। शैक्षणिक सत्र 2009–10 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित /अध्ययनरत् छात्राओं को लाभान्वित किया जावेगा।
- अध्ययनरत छात्रा का निवास स्थान महाविद्यालय की परिधि से 05 किलोमीटर अथवा इससे से अधिक की दूरी पर होना चाहिए ।
- महाविद्यालय से निवास स्थान की दूरी का प्रमाणीकरण छात्रा के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के आधार निकटतम बस स्टॉप से, महाविद्यालय की दूरी तक किया जावेगा । निवास स्थल के प्रमाणीकरण हेतु 1. राशनकार्ड, (जिसमें छात्रा का नाम अंकित हो)

2. मतदाता परिचय पत्र, 3. ड्राईविंग लाइसेंस, अथवा अन्य अधिकृत दस्तावेज जिससे वर्तमान निवास का प्रमाणीकरण स्पष्ट हो सके ।

- योजना अन्तर्गत छात्राओं की पात्रता के लिए निम्नानुसार समिति की गठन किया जावेगा :–

अ	जिलाध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि (जो डिप्टी कलेक्टर से कम स्तर का न हो)	अध्यक्ष
ब	जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष	सदस्य
स	प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय	सदस्य सचिव
द	जनप्रतिनिधि 1 विधायक अथवा उनका प्रतिनिधि 2 नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य

निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा तथा परीक्षण उपरांत समिति द्वारा पात्र छात्राओं का चयन किया जावेगा

- इस योजना का लाभ परम्परागत (सामान्य पाठ्यक्रम) में अध्ययनरत् छात्राओं को प्रदाय किया जायेगा । स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्राऐं इस योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगी ।

3. गणना एवं भुगतान –

- छात्रा द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से उपस्थिति के आधार पर राशि की गणना की जावेगी ।
- राशि की गणना प्रति छात्रा प्रतिदिन रूपये 5.00 (पांच रूपये) की दर से की जावेगी । शैक्षणिक सत्र में प्रतिमाह माहवार उपस्थिति अनुसार राशि का भुगतान किया जावेगा परन्तु अधिकतम वार्षिक 200 दिवस से अधिक का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
- 200 दिवस की गणना शैक्षणिक सत्र के रूप में माह जुलाई से मार्च तक की जावें ।

4. बजट –

महाविद्यालय स्तर से बजट हेतु निर्धारित प्रपत्र (T.R.-2) में भरकर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा को ई–मेल budgethedu@mp.gov.in पर अधिकतम 15 सितम्बर तक प्रेषित किया जावेगा।

5. छात्राओं को योजना की जानकारी–

योजना सत्र 2009–10 से प्रारंभ की गई है। अतः महाविद्यालय में नियमित रूप से प्रथम वर्ष में प्रवेशित / अध्ययनरत छात्राओं को प्राचार्यो द्वारा परिपत्र जारी कर शिक्षकों के माध्यम से / नोटिस बोर्ड पर सूचना अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से योजना के बारे में अवगत कराया जावे ताकि सभी पात्र छात्राओं द्वारा समय सीमा में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर योजना का लाभ ले सके।

6. आवेदन –

निर्धारित प्रपत्र (T.R.-1) में छात्राओं द्वारा निश्चित समयावधि में आवेदन किया जावेगा। जिसमें सामान्य जानकरी के साथ वर्तमान निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ताकि दूरी का प्रमाणीकरण हो सके।

7. विवादों का निपटारा –

इस योजनान्तर्गत पात्रता के विवाद की स्थिति में आवेदिका द्वारा अपील प्राचार्य के माध्यम से, संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा को की जा सकेगी। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक आवेदन–पत्र पर परीक्षण कर अपना अभिमत प्राचार्य को देंगे। विशेष परिस्थिति में आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा।

प्रपत्र – **TR.-1**

आवेदन–पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य,

————————————————

————————————————

विषय– छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजना का लाभ प्रदाय करने बाबत् ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय की नियमित छात्रा हूँ। कृपया मुझे योजनान्तर्गत लाभ प्रदाय करने का कष्ट करें । विवरण निम्नानुसार है –

1. छात्रा का नाम ————————————————————

2. पिता/पति का नाम ————————————————————

3. अध्ययनरत् कक्षा ————————————————————

4. निवास स्थल का पता ————————————————————

(प्रमाणित अभिलेख संलग्न करें) ————————————————————

————————————————————

5. श्रेणी – ————————————————————

(सामान्य/अनु0जाति/अनु0जनजाति)

6. प्रवेश दिनांक – ————————————————————

घोषणा–

मैं, घोषणा करती हूं कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है, जो सत्य है ।

हस्ताक्षर (छात्रा)

नाम –

दिनांक –

हस्ताक्षर (छात्रा के पिता/पति)

नाम–

प्रपत्र – **TR.-2**

महाविद्यालय का नाम –

योजना का नाम – छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा –

क्रं.	सत्र– 2009–10 में नियमित रूप से अध्ययनरत् छात्राओं की जानकारी			उपस्थिति के आधार कुल अनुमानित दिवस (जुलाई से मार्च तक अधिकतम 200 दिवस)	रू. 5/– प्रतिदिन की दर से कुल राशि (4X5)	टिप्पणी
	श्रेंणी	कुल छात्राऐं	महाविद्यालय से 05 कि.मी. अथवा इससे अधिक की दूरी पर निवासरत् पात्र छात्राऐं			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	सामान्य अनु. जनजाति अनु. जाति					
	योग					

हस्ताक्षर

प्राचार्य सील सहित

Bank

(उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना)

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क.प्राविवि/उशिगायो-9/संविसं/2009/.2083 भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः- उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारन्टी योजना।

=0=

राज्य शासन, एतद् द्वारा, वर्ष 2009-2010 में प्रवेश लेने वाले योजना में निर्धारित पात्रता के आधार पर पात्र विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारन्टी योजना लागू करती है। उक्त योजना का स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

2/- योजना की आवश्यकता:-

राज्य शासन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में निम्न आय वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कॉलेटरल सिक्यूरिटी मांगी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने पर रूपये 4 लाख तक के ऋण हेतु किसी प्रकार की कॉलेटरल सिक्यूरिटी की आवश्यकता नही होती है किन्तु इससे अधिक राशि के ऋण हेतु बैंक द्वारा कॉलेटरल सिक्यूरिटी लिए जाने का प्रावधान है। निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार द्वारा उनके पास भूमि, भवन आदि नही होने से कॉलेटरल सिक्यूरिटी दी जाना संभव नही होता है। अतः ऐसे गरीब मेधावी विद्यार्थी, जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु ऋण की आवश्यकता है तथा कॉलेटरल सिक्यूरिटी के अभाव में बैंक से ऋण प्राप्त नही कर सकते है, को बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की गारन्टी पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

3/- योजना का स्वरूप एवं कियान्वयन करने वाले विभाग :-

इस योजना का कियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जावेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनसे संबंधित अधिसूचित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों हेतु गारंटी दी जावेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों हेतु गारंटी दी जा सकेगी। विभाग-वार विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण हेतु दी जाने वाली गारंटी की संख्या का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा। इसमें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण भी सम्मिलित रहेगें, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या विभाग हेतु निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना में अधिसूचित पाठ्यक्रमों एवं शिक्षण संस्थाओं का निर्धारण संबंधित विभागों द्वारा किया जावेगा। उपरोक्तानुसार, गारंटी शासकीय/शासन से सहायता प्राप्त एवं विदेश में उच्च शिक्षा हेतु प्रतिष्ठित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये ही दी जा सकेगी। परन्तु इसमें पीएच0डी0 के पाठ्यक्रम शामिल नही होगें। विद्यार्थी को उच्च शिक्षा ऋण गारंटी किसी भी एक पाठ्यक्रम के लिये एवं एक बार ही दी जा सकेगी।

4/- लाभार्थी :-

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगें जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 3 लाख से अधिक नहीं है। संबंधित विद्यार्थी के माता-पिता/पालक को यह शपथ-पत्र देना होगा कि उनके पास कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियाँ नहीं है तथा उसके पास उपलब्ध आस्तियों का विवरण शपथ-पत्र के साथ संलग्न करने होगें।

5/- छानबीन समिति :-

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों के चयन हेतु इस योजना का कियान्वयन करने वाले विभागों के अन्तर्गत छानबीन समिति का गठन किया जायेगा जो योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार कर गुण-दोष के आधार पर उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन करेगी। समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव करेगें तथा संबंधित विभागाध्यक्ष, संचालक, संस्थागत वित्त एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैकर्स समिति अथवा उनके प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष समिति के सदस्य सचिव

होंगे। विभाग द्वारा छानबीन समिति की बैठक प्रत्येक [illegible] आयोजित की जायेगी।

6/- चयन प्रकिया:-

प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्तानुसार गठित छानबीन समिति द्वारा शिक्षा ऋण हेतु गारंटी देने का निर्णय गुण-दोष के आधार पर पारदर्शी चयन प्रकिया के माध्यम से किया जावेगा। समिति द्वारा चयन करते समय निम्न बिन्दुओं की जांच की जावेगी :-

6.1 विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यकम की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता।

6.2 विद्यार्थी द्वारा चयनित शिक्षण संस्थान की मान्यता।

6.3 विद्यार्थी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा हायर सेकण्डरी एवं उसके बाद की परीक्षाओं में विद्यार्थी के प्राप्तांकों का प्रतिशत।

6.4 विद्यार्थी के पालक की आर्थिक स्थिति।

6.5 विद्यार्थी द्वारा चयन किये गये पाठ्यकम में चयन की प्रकिया।

6.6 विद्यार्थी को बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की वापसी की संभावना का मूल्यांकन।

विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से गारंटी देने हेतु प्रकरणों का चयन विद्यार्थी के पूर्व शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।

7/- विभाग एवं बैंक का दायित्व:-

7.1 विभाग एवं बैंक का यह दायित्व होगा कि वह उच्च शिक्षा ऋण के विरूद्ध गारंटी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के संबंधित पाठ्यकम में दाखिले के पश्चात प्रत्येक वर्ष/सेमिस्टर की शैक्षणिक उपलब्धि की समीक्षा करे।

7.2 बैंक द्वारा ऐसे विद्यार्थी हेतु देय शिक्षण शुल्क का निर्गमन सीधे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को किया जायेगा। प्रवेश वर्ष को छोड़कर आगामी वर्षो में शिक्षण शुल्क के भुगतान के पूर्व विद्यार्थी के संबंधित पाठ्यकम के प्रत्येक वर्ष/सेमिस्टर की शैक्षणिक उपलब्धि की समीक्षा की जायेगी।

7.3 किसी विद्यार्थी के सेमिस्टर/वार्षिक परीक्षा में उपलब्धि संतोषजनक नही पाई जाती है अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक को इन प्रकरणों में निर्गमित ऋण तथा उस पर उक्त दिनांक तक देय ब्याज की राशि (कुल देय राशि) की जानकारी 30 दिवस की समयावधि में राज्य शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को देनी होगी। बैंक उक्त सूचना के उपरान्त ऋण वसूली की नियमानुसार कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करेगी तथा राज्य शासन के गारंटी अंतर्गत दायित्वों में बैंक के पास जानकारी

प्राप्त होने के दिनांक के बाद के ब्याज का भार शामिल नहीं होगा। बैंक द्वारा अनुदान की राशि के समायोजन उपरान्त वसूल नही हो सके ऋण एवं ब्याज की राशि की वापिसी की मांग राज्य शासन से करने पर वित्त विभाग द्वारा शुद्ध देय राशि बैंक को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। उक्तानुसार राशि निर्गमन के पश्चात ऐसी गारंटी स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

7.4 ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य शासन को गारंटी के विरूद्ध बैंक को भुगतान करना पड़ता है वहां ऐसे विद्यार्थी/ अभिभावक से राज्य शासन द्वारा भुगतान की गई राशि की पूर्ण वसूली होने के दिनांक तक, ऋण हेतु बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर, के ब्याज सहित वसूली योग्य होगी। यह राशि संबंधित प्रशासकीय विभाग, जिसके द्वारा गारंटी दी गई है, के द्वारा भू-राजस्व की बकाया राशि (arrears of land revenue) के समान वसूली योग्य होगी।

7.5 ऋणप्राप्तकर्ता को यदि केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी संस्था से ऋण अथवा ब्याज पर किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है तो उक्त अनुदान की राशि का, ऋण प्राप्तकर्ता की देनदारियों के विरूद्ध समायोजन करने के उपरान्त शेष रही राशि के 80 प्रतिशत तक का भुगतान ही राज्य शासन द्वारा गारंटी के अंतर्गत किया जायेगा।

7.6 बैंक द्वारा विद्यार्थी को गारंटी के विरूद्ध निर्गमित/बकाया ऋण की राशि एवं शेष ब्याज के अद्यतन विवरण प्रत्येक छः माह में एक बार विभाग को उपलब्ध कराये जायेगें। विभाग द्वारा प्रत्येक गारंटी के विषय में प्रदत्त ऋण, वसूली एवं अद्यतन ब्याज की राशि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जायेगी तथा उसके आधार पर वित्त विभाग को छ'माही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8/- गारंटी की निबंध एवं शर्तें:-

8.1 योजना अंतर्गत गारंटी मध्य प्रदेश शासकीय प्रत्याभूति नियम, 1976 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी की जायेगी।

8.2 विद्यार्थी को गारंटी के आवेदन के साथ संबंधित बैंक द्वारा जारी यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि बैंक ने ऋण के विरूद्ध (80 प्रतिशत की सीमा तक) कोई अन्य कॉलेट्रल सिक्यूरिटी (Collateral Security) प्राप्त नहीं की है।

8.3 ऋणी द्वारा ऋण/ब्याज के भुगतान में चूक करने पर प्रथमतः बैंक द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी और तत्पश्चात ही अनुदान की राशि के समायोजन उपरान्त शेष बची राशि के लिये राज्य शासन की गारंटी के विरूद्ध मांग करने पर राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

8.4 प्रशासकीय विभाग प्रतिवर्ष योजनान्तर्गत विभाग द्वारा जारी की जाने वाली गारंटी की कुल सीमा में प्रकरण वार (विद्यार्थी वार) गारंटी जारी कर सकेगा। विभाग द्वारा ही जारी की गई गारंटी तथा उसके विरूद्ध प्रदत्त ऋण, ब्याज एवं ऋण

की वापसी का लेखा जोखा रखा जायेगा। विभाग निर्धारित प्रपत्र में प्रति छः माह में वित्त विभाग को जानकारी उपलब्ध करायेगा।

8.5 योजना अंतर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिसूचित देश में स्थित शैक्षणिक संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिकतम् रू. 7.50 लाख तथा विदेश में शिक्षा हेतु अधिकतम् रू. 15 लाख तक के ऋण पर गारंटी दी जा सकेगी।

8.6 गारंटी की राशि कुल ऋण तथा उस पर देय ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज दर) के 80 प्रतिशत तक की सीमा में रहेगी।

8.7 गारंटी की अवधि ऋण स्वीकृति के समय ऋण चुकारे हेतु निर्धारित की गई अवधि से 6 माह पश्चात तक रहेगी। परन्तु कण्डिका 7.3 एवं 7.5 में उल्लेखित प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा बैंक को ऐसी राशि का भुगतान करने के पश्चात गारंटी स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

8.8 योजना में चयनित विद्यार्थी एवं उसके पालकों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने तथा बैंक से प्राप्त ऋण को मय ब्याज के वापिस करने हेतु एक बंध-पत्र (Bond) निष्पादित करना होगा।

8.9 योजना अंतर्गत जारी गारंटी पर नियमानुसार गारंटी फीस देय होगी।

9/- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी०पी० सिंघल)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. प्राशिवि/उशिगायो-9/छंगिहे/2009/2084 भोपाल, दिनांक 31.. अक्टूबर, 2009

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल, जबलपुर/इंदौर/ ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उप-महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/आडिट 1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
16. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल।
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी), मंत्रालय, भोपाल।
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
19. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
20. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।
21. मुख्य ममहाप्रबंधक, नाबार्ड, भोपाल।
22. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भोपाल।
23. प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुख, भोपाल।
24. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
25. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश।
26. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल।
27. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
28. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(मनीष सिंह)
संचालक
संचालनालय संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश

Education Guarantee_Scheme Compendium

मध्यप्रदेश शासन की एक अभिनव योजना

मार्गदर्शिका

उच्च शिक्षा ऋण गारन्टी योजना

(दिनांक 31–10–2009 से प्रभावशील)

संपर्कसूत्र:–
आयुक्त / संचालक
संचालनालय संस्थागत वित, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, विन्ध्याचल भवन, भोपाल 462 004
दूरभाष: 0755–2551199 / 2552003
फेक्स: 0755–2551387
ई–मेल पता: difbho@mp.gov.in website: http://www.dif.mp.gov.in

विभाग स्तर पर नोडल / सम्पर्क अधिकारी

1. तकनीकी शिक्षा विभाग

नामः—	डॉ0 ए0 के0 जैन
पदनामः—	संयुक्त संचालक
दूरभाष क्रमांकः—	0755—2577148
फैक्स क्रमांकः—	0755—2552219
मोबाईल क्रमांकः—	094251—85846
कार्यालय का पताः—	संचालनालय तकनीकी शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
ई—मेल पताः—	dtemp@sancharnet.in/abhaykjain@rediffmail.com

2. चिकित्सा शिक्षा विभाग

नामः—	डॉ0 एन0 एम0 श्रीवास्तव
पदनामः—	संयुक्त संचालक
दूरभाष क्रमांकः—	0755—2551719
फैक्स क्रमांकः—	0755—2551719
मोबाईल क्रमांकः—	098272—24439
कार्यालय का पताः—	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
ई—मेल पताः—	dirmededu@mp.nic.in/drnmshrivastava@gmail.com

3. आयुष विभाग

नामः—	डॉ0 एम0 के0 बिस्थरे
पदनामः—	संयुक्त संचालक
दूरभाष क्रमांकः—	0755—2552830 / 2571643
फैक्स क्रमांकः—	0755—2780225
मोबाईल क्रमांकः—	094258—83289
कार्यालय का पताः—	संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, सतपुड़ा भवन, भोपाल
ई—मेल पताः—	mp_dismh@yahoo.com

4. उच्च शिक्षा विभाग

नामः—	श्रीमती गौरी सिंह
पदनामः—	संयुक्त संचालक वित्त
दूरभाष क्रमांकः—	0755—2558258
फैक्स क्रमांकः—	0755—4231572
मोबाईल क्रमांकः—	094250—27751
कार्यालय का पताः—	संचालनालय उच्च शिक्षा, 5वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
ई—मेल पताः—	commhedu@mp.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना (संशोधन सहित)	3–10
2.	विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों की सूची (परिशिष्ट–1)	11
3.	विभाग द्वारा देश एवं विदेश में अध्ययन हेतु निर्धारित शिक्षण संस्थाओं की सूची (परिशिष्ट–2)	12–13
4.	परिवार की वार्षिक आय का शपथ–पत्र (परिशिष्ट–3)	14
5.	कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियां नहीं होने का शपथ–पत्र (परिशिष्ट–4)	15
6.	छानबीन समिति का स्वरूप तथा संदर्भ शर्तें (परिशिष्ट–5)	16
7.	उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा गारंटी जारी करने हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–6)	17–20
8.	विभाग स्तर पर गारंटी से संबंधित आवश्यक अभिलेख संधारण हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–7)	21–22
9.	बंध–पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–8)	23–24

उच्च शिक्षा ऋण गारन्टी योजना

(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफबीपी/उशिगायो-2/संविसं/2002/2083 दिनांक 31-10-2002 से जारी)

=0=

1. प्रस्तावना एवं योजना की आवश्यकता:-

उच्च शिक्षा का लाभ समस्त इच्छुक विद्यार्थियों को दिलाने के लिए राज्य शासन कटिबद्ध है। प्रदेश में निम्न आय वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कॉलेटरल सिक्यूरिटी मांगी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने पर रूपये 4 लाख तक के ऋण हेतु किसी प्रकार की कॉलेटरल सिक्यूरिटी की आवश्यकता नहीं होती है किन्तु इससे अधिक राशि के ऋण हेतु बैंक द्वारा कॉलेटरल सिक्यूरिटी लिए जाने का प्रावधान है। निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार द्वारा उनके पास भूमि, भवन आदि नहीं होने से कॉलेटरल सिक्यूरिटी दी जाना संभव नहीं होता है। अतः ऐसे गरीब मेधावी विद्यार्थी, जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु ऋण की आवश्यकता है तथा कॉलेटरल सिक्यूरिटी के अभाव में बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, को बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की गारन्टी पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. योजना का स्वरूप एवं क्रियान्वयन करने वाले विभाग :-

इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा (आयुष विभाग सहित) एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जावेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनसे संबंधित अधिसूचित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों हेतु गारंटी दी जावेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों हेतु गारंटी दी जा सकेगी। विभाग-वार विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण हेतु दी जाने वाली गारंटी की संख्या का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा टेबल क्रमांक-1 द्वारा किया गया है। इसमें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण भी सम्मिलित रहेगें, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या विभाग हेतु निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से

अधिक नहीं होगी। उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना में अधिसूचित पाठ्यक्रमों (परिशिष्ट–1) एवं शिक्षण संस्थाओं का निर्धारण (परिशिष्ट–2) संबंधित विभागों द्वारा किया गया है। उपरोक्तानुसार गारंटी **<u>शासकीय / शासन से सहायता प्राप्त / प्रतिष्ठित निजी महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों</u>** एवं विदेश में उच्च शिक्षा हेतु प्रतिष्ठित महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये ही दी जा सकेगी। परन्तु इसमें पीएच0डी0 के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होगें। विद्यार्थी को उच्च शिक्षा ऋण गारंटी किसी भी एक पाठ्यक्रम के लिये एवं एक बार ही दी जा सकेगी।
<u>(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक [illegible]/2010/1010 दिनांक [illegible] द्वारा संशोधित)</u>

<u>टेबल क्रमांक–1</u>

उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारन्टी योजना अंतर्गत विभागवार गारंटी की संख्या का निर्धारण

क्र.	विभाग / शिक्षा क्षेत्र	विभाग द्वारा वर्ष के दौरान दी जाने वाली गारंटी की निर्धारित संख्या
1.	चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन हेतु (आयुष विभाग सहित)	100 विद्यार्थियों को गारंटी
2.	तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन हेतु	60 विद्यार्थियों को गारंटी
3.	अन्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन हेतु	**40 विद्यार्थियों को गारंटी**

नोटः– उपरोक्तानुसार निर्धारित गारंटी की संख्या में से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण भी सम्मिलित रहेगें, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
<u>(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ/उशिऋगायो–9/संविसं/2009/312 दिनांक 18 जनवरी 2010)</u>

3. लाभार्थी :–

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थी पात्र होगें जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 3 लाख से अधिक नहीं है (<u>शपथ–पत्र परिशिष्ट–3 अनुसार</u>)। संबंधित विद्यार्थी के माता–पिता / पालक को यह शपथ–पत्र (<u>परिशिष्ट–4</u>) देना होगा कि उनके पास कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियॉं नहीं है तथा

उसके पास उपलब्ध आस्तियों का विवरण शपथ–पत्र के साथ संलग्न करने होगें।

4. **आवेदन की प्रक्रिया:–**

4.1 विद्यार्थी द्वारा बैंक से ऋण हेतु आवेदन संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में बैंक के नियमानुसार करना होगा तथा कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु शासकीय प्रत्याभूति जारी करने हेतु निर्धारित प्रारूप (आवेदन पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–6 अनुसार**) में दस्तावेजों के साथ पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.2 विद्यार्थी द्वारा जिस बैंक शाखा से ऋण प्राप्त किया जाना है, उस बैंक शाखा द्वारा विद्यार्थी के पक्ष में शासकीय प्रत्याभूति की शर्त पर ऋण स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक सहमति का पत्र जारी किया जाएगा तथा ऐसा पत्र आवेदक द्वारा अपने उच्च शिक्षा ऋण हेतु प्रत्याभूति के आवेदन पत्र के साथ **मूलतः संलग्न** करना होगा।

4.3 शासकीय प्रत्याभति हेतु आवेदन निम्नानुसार अग्रेषित होगें:–

अ. विद्यार्थी द्वारा अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से संबंधित प्रशासकीय विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगें।

ब. विद्यार्थी द्वारा बैंक के माध्यम से संबंधित प्रशासकीय विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगें।

स. विद्यार्थी द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग के नोडल अधिकारी को सीधे भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगें।

4.4 प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रचार प्रसार करते हुए उच्च शिक्षा ऋण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएगें।

(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/अशिपालो–2/संविदा/2010/217 दिनांक 13–02–2010 द्वारा निर्धारित)

5. छानबीन समिति :–

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों के चयन हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने वाले

विभागों के अन्तर्गत छानबीन समिति (**परिशिष्ट–5**) गठित की गई है। उक्त समिति योजना अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों (**आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–6 अनुसार**) पर विचार कर गुण–दोष के आधार पर उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन करेगी। समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव करेगें तथा संबंधित विभागाध्यक्ष संचालक संस्थागत वित्त एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अथवा उनके प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष समिति के सदस्य सचिव होंगें। विभाग द्वारा छानबीन समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

6. चयन प्रक्रिया:–

प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्तानुसार गठित छानबीन समिति द्वारा शिक्षा ऋण हेतु गारंटी देने का निर्णय गुण–दोष के आधार पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जावेगा। समिति द्वारा चयन करते समय निम्न बिन्दुओं की जांच की जावेगी :–

6.1 विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता।
6.2 विद्यार्थी द्वारा चयनित शिक्षण संस्थान की मान्यता।
6.3 विद्यार्थी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा हायर सेकण्डरी एवं उसके बाद की परीक्षाओं में विद्यार्थी के प्राप्तांकों का प्रतिशत।
6.4 विद्यार्थी के पालक की आर्थिक स्थिति।
6.5 विद्यार्थी द्वारा चयन किये गये पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया।
6.6 विद्यार्थी को बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की वापसी की संभावना का मूल्यांकन।

विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से गारंटी देने हेतु प्रकरणों का चयन विद्यार्थी के पूर्व शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।

6.7 **निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार होगी:–**

6.7.1 विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम हेतु प्रदेश के किसी निजी महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र के राज्य की पी0ई0टी0/पी0एम0टी0 में प्राप्तांक शासकीय इंजिनियरिंग/मेडिकल कालेज में एडमिशन हेतु आये कटऑफ अंक के बराबर अथवा उससे अधिक होने चाहिये।

6.7.2 राज्य शासन द्वारा चयनित विद्यार्थी को निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर गारंटी की राशि के निर्धारण हेतु ऐसे महाविद्यालय हेतु फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस को आधार माना जायेगा। परन्तु, जिन प्रकरणों में फीस का निर्धारण फीस नियामक आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, ऐसे प्रकरणों में गारंटी की राशि हेतु फीस के आंकलन का आधार शासकीय महाविद्यालयों हेतु निर्धारित फीस की सीमा तक रहेगा। विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं पर यह प्रावधान लागू नहीं होगें।

(मप्र शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/ओआरजीवी-9/कांविसं/2010/1010 दिनांक [illegible] द्वारा जोड़ी गई कंडिका क्र. 6.7 तथा ज्ञाप क्रमांकपि/उरिगावो-9/कांविसं/2010/2177 दिनांक 13-09-2010 द्वारा प्रतिस्थापित कंडिका क्र 6.7.2)

7. विभाग एवं बैंक का दायित्वः-

7.1 विभाग एवं बैंक का यह दायित्व होगा कि वह उच्च शिक्षा ऋण के विरूद्ध गारंटी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के संबंधित पाठ्यक्रम में दाखिले के पश्चात प्रत्येक वर्ष/सेमिस्टर की शैक्षणिक उपलब्धि की समीक्षा करे।

7.2 बैंक द्वारा ऐसे विद्यार्थी हेतु देय शिक्षण शुल्क का निर्गमन सीधे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को किया जायेगा। प्रवेश वर्ष को छोड़कर आगामी वर्षों में शिक्षण शुल्क के भुगतान के पूर्व विद्यार्थी के संबंधित पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष/सेमिस्टर की शैक्षणिक उपलब्धि की समीक्षा की जायेगी।

7.3 किसी विद्यार्थी के सेमिस्टर/वार्षिक परीक्षा में उपलब्धि संतोषजनक नहीं पाई जाती है अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक को इन प्रकरणों में निर्गमित ऋण तथा उस पर उक्त दिनांक तक देय ब्याज की राशि (कुल देय राशि) की जानकारी 30 दिवस की समयावधि में राज्य शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को देनी होगी। बैंक उक्त सूचना के उपरान्त ऋण वसूली की नियमानुसार कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करेगी तथा राज्य शासन के गारंटी अंतर्गत दायित्वों में बैंक के पास जानकारी प्राप्त होने के दिनांक के बाद के ब्याज का भार शामिल नहीं होगा। बैंक द्वारा अनुदान की राशि के समायोजन उपरान्त वसूल नहीं हो सके ऋण एवं ब्याज की राशि की वापसी की मांग राज्य शासन से करने पर वित्त विभाग द्वारा शुद्ध देय राशि बैंक को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। उक्तानुसार राशि निर्गमन के पश्चात ऐसी गारंटी स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

7.4 ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य शासन को गारंटी के विरूद्ध बैंक को भुगतान करना पड़ता है वहां ऐसे विद्यार्थी/अभिभावक से राज्य शासन द्वारा भुगतान की गई राशि की पूर्ण वसूली होने के दिनांक तक ऋण हेतु बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर के ब्याज सहित वसूली योग्य होगी। यह राशि संबंधित प्रशासकीय विभाग, जिसके द्वारा गारंटी दी गई है के द्वारा भू–राजस्व की बकाया राशि (arrears of land revenue) के समान वसूली योग्य होगी।

7.5 ऋणप्राप्तकर्ता को यदि केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी संस्था से ऋण अथवा ब्याज पर किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है तो उक्त अनुदान की राशि का, ऋण प्राप्तकर्ता की देनदारियों के विरूद्ध समायोजन करने के उपरान्त शेष रही राशि के 80 प्रतिशत तक का भुगतान ही राज्य शासन द्वारा गारंटी के अंतर्गत किया जायेगा।

7.6 बैंक द्वारा विद्यार्थी को गारंटी के विरूद्ध निर्गमित/बकाया ऋण की राशि एवं शेष ब्याज के अद्यतन विवरण प्रत्येक छः माह में एक बार विभाग को उपलब्ध कराये जायेगें। विभाग द्वारा प्रत्येक गारंटी के विषय में प्रदत्त ऋण वसूली एवं अद्यतन ब्याज की राशि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जायेगी तथा उसके आधार पर वित्त विभाग को छःमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8. गारंटी की निबंध एवं शर्तें:–

8.1 योजना अंतर्गत गारंटी मध्य प्रदेश राज्य सरकार शासकीय प्रत्यामूर्ति नियम, 2009 (संशोधित) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी की जायेगी।

8.2 विद्यार्थी को गारंटी के आवेदन के साथ संबंधित बैंक द्वारा जारी यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि बैंक ने ऋण के विरूद्ध (80 प्रतिशत की सीमा तक) कोई अन्य कॉलेट्रल सिक्यूरिटी (Collateral Security) प्राप्त नहीं की है।

8.3 ऋणी द्वारा ऋण/ब्याज के भुगतान में चूक करने पर प्रथमतः बैंक द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी और तत्पश्चात ही अनुदान की राशि के समायोजन उपरान्त शेष बची राशि के लिये राज्य शासन की गारंटी के विरूद्ध मांग करने पर राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

8.4 प्रशासकीय विभाग प्रतिवर्ष योजनान्तर्गत विभाग द्वारा जारी की जाने वाली गारंटी की कुल सीमा में प्रकरण वार (विद्यार्थी वार) गारंटी

जारी कर सकेगा। विभाग द्वारा जारी की गई गारंटी तथा उसके विरूद्ध प्रदत्त ऋण, ब्याज एवं ऋण की वापसी का लेखा जोखा रखा जायेगा। विभाग निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट–7**) में प्रति छः माह में वित्त विभाग को जानकारी उपलब्ध करायेगा।

8.5 योजना अंतर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिसूचित देश में स्थित शैक्षणिक संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा विदेश में शिक्षा हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि के आधार पर गारंटी दी जा सकेगी। गारंटी की राशि कुल ऋण तथा उस पर देय ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज दर) के 80 प्रतिशत तक की सीमा में रहेगी।

8.6 गारंटी की अवधि ऋण स्वीकृति के समय ऋण चुकारे हेतु निर्धारित की गई अवधि से 6 माह पश्चात तक रहेगी। परन्तु कण्डिका 7.3 एवं 7.5 में उल्लेखित प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा बैंक को ऐसी राशि का भुगतान करने के पश्चात गारंटी स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

8.7 योजना में चयनित विद्यार्थी एवं उसके पालकों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने तथा बैंक से प्राप्त ऋण को मय ब्याज के वापिस करने हेतु बैंक एवं राज्य शासन के साथ एक त्रिपक्षीय बंध–पत्र (परिशिष्ट–8) (Tripartite-Bond) निष्पादित करना होगा।

(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/उशिगायो–9/संविसं/2010/2177 दिनांक 13–09–2010 द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत का है।)

(परिशिष्ट–1)

विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों की सूची

तकनीकी शिक्षा विभाग:–

स्नातक	स्नातकोत्तर
बी0ई0 / बी0टेक0	एम0ई0 / एम0टेक0
बी0फार्मेसी	एम0फार्मेसी
डिग्री / डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी	एम0बी0ए0
	पी0जी0डी0एम0
बी0आर्क0	एम0आर्क0
	एम0सी0ए0
	एम0एस0 विदेश में अध्ययन हेतु

चिकित्सा शिक्षा विभाग :–

स्नातक	स्नातकोत्तर
एम0बी0बी0एस0	एम0डी0
	एम0एस0
	डी0एम0
	एम0सी0एच0
बी0डी0एस0	एम0डी0एस0
बी0एससी0–नर्सिंग	एम0एससी0–नर्सिंग

आयुष विभाग:–

स्नातक	स्नातकोत्तर
बी0ए0एम0एस0	एम0डी0–आयुर्वेद
	एम0एस0–आयुर्वेद
बी0यू0एम0एस0	एम0डी0–यूनानी
बी0एच0एम0एस0	एम0डी0– होम्योपैथी

उच्च शिक्षा विभाग:–

स्नातक	स्नातकोत्तर
म0प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम	म0प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम

(परिशिष्ट–2)

विभाग द्वारा देश एवं विदेश में अध्ययन हेतु निर्धारित शिक्षण संस्थाओं की सूची

तकनीकी शिक्षा विभाग:–

भारत में अध्ययन हेतु चिन्हित की गई शैक्षणिक संस्थाएं
समस्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी). समस्त भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम). भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी). समस्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी). समस्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी). समस्त योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए). समस्त भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम). नार्थ–ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एवं टेक्नालॉजी (एनईआरआईएसटी). नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग (एनआईटीआईई). नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी (एनआईएफएफटी). संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (एसएलआईईटी). सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी (सीआईटी). पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी. डिजाइन एवं प्रबंधन संस्थान (आईआईआईटीडीएम). जबलपुर.
समस्त एआईसीटीई अनुमोदित शासकीय (स्वशासी)/अनुदान प्राप्त संस्थाएं. यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों के यूटीडी/यूआईटी/फैकल्टी स्कूल में संचालित समस्त एआईसीटीई अनुमोदित पाठ्यक्रम. समस्त एआईसीटीई अनुमोदित ऐसी निजी संस्थाएं जिन्हें स्थापना के कम से कम सात वर्ष पूर्ण हो चुके हों।

विदेश में अध्ययन हेतु चिन्हित की गई शैक्षणिक संस्थाएं	
Country	University/Technical Institutes
Australia	Australian National University (ANU), University of Sydney, University of Melbourne, University of Queensland (UQ), University of New South Wales (UNSW), Monash University, University of Western Australia (UWA)
Canada	McGill University, University of Toronto, University of British Columbia (UBC), University of Alberta
China	Peking University, Tsinghua University
Denmark	University of Copenhagen, Aarhus University
Finland	University of Helsinki
France	Ecole Normale Supérieure de Paris (ENS Paris), Ecole Polytechnique, ParisTech Germany-Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Technische Universität München (TUM), Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Freie Universität Berlin, Universität Freiburg, University of Stuttgard
Hong Kong	University of Hong Kong (HKU), Hong Kong University of Science and Technolog, Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Ireland	Trinity College Dublin
Japan	University of Tokyo, The Kyoto University, Osaka University, Tokyo Institute of Technology, Nagoya University
Korea South	Seoul National University (SNU), KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
Netherlands	University of Amsterdam, Leiden University, Utrecht University, Erasmus University Rotterdam, Eindhoven University of Technology
New Zealand	University of Auckland
Norway	University of Oslo
Russia	Lomonosov Moscow State University
Singapore	National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU) Sweden-Uppsala University, Lund University
Switzerland	ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, University of Geneva
Taiwan	National Taiwan University (NTU)
United Kingdom	University of Cambridge, UCL (University College London), University of Oxford, Imperial College London, King's College London (KCL), University of Edinburgh, University of Bristol, University of Manchester, University of Warwick, University of Birmingham, University of Sheffield, University of Nottingham, University of Glasgow, London School of Economics and Political Scie., University of Southampton, University of Leeds, University of York, Durham University, University of St Andrews.
United States	Harvard University, Yale University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Chicago, California Institute of Technology (Caltech), Princeton University, Columbia University, University of Pennsylvania (UPenn), Stanford University, Duke University, University of Michigan, Cornell University, Johns Hopkins University, Northwestern University, University of California, Berkeley (UCB), Carnegie Mellon University (CMU), University of

	California, Los Angeles (UCLA), Brown University, New York University (NYU), University of Wisconsin-Madison, University of Washington, University of North Carolina, Chapel Hill, University of Illinois at Urbana-Champaign, Boston University, University of California, San Diego (UCSD), University of Texas at Austin (UT Austin), Washington University in St. Louis, Purdue University, Dartmouth College, University of Minnesota, Pennsylvania State University (Penn State)

चिकित्सा शिक्षा विभाग:–

शैक्षणिक संस्थाएं
मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षिणिक संस्थाऐं
डेन्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षिणिक संस्थाऐं
इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षिणिक संस्थाऐं

आयुष विभाग:–

शैक्षणिक संस्थाएं
केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सी.सी.आई.एम.) नई दिल्ली तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थाऐं. जो सी. सी.आई.एम. की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में सम्मिलित पाठ्यक्रमों को संचालित करती हैं ।
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (सी.सी.एच) नई दिल्ली तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थाऐं. जो सी.सी.एच. की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में सम्मिलित पाठ्यक्रमों को संचालित करती हैं।

उच्च शिक्षा विभाग:–

शैक्षणिक संस्थाएं
यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं राष्ट्रीय संस्थाएं

(परिशिष्ट–3)

परिवार की वार्षिक आय का शपथ–पत्र

AFFIDAVIT

(On Rs. 10/- Non judicial stamp paper or affix Rs. 10/- special adhesive stamp)
[This affidavit is to be sworned by Head of Family of a student on behalf of all earning members of the family[1]]

I ———————————— S/o/D/o Shri ——————————— aged about ——— years having an occupation of ——————, resident of ——————— do hereby solemnly affirm and state on oath as follows.

1. I am the deponent herein as such I am well acquainted with the facts of this affidavit.

2. I submit that I am the permanent resident of ———————————————— (give complete address) of ————— Tehsil ————— District.

3. I submit that annual income of my family is Rs. ————— (word and figure) from all sources.

4. I submit that I belong to ______________________ caste, which is classified as SC/ST/OBC/General.

5. The said affidavit of caste, residence and income is necessary for my son/ daughter named ——————————————— for the purpose of obtaining a Guarantee of the Government of Madhya Pradesh for the purpose of availing loan from the ————————————————— (name and full address of the bank) for Higher Education purpose.

6. The above facts stated are true and correct to the best of my knowledge and belief.

7. Hence this affidavit.

DEPONENT

Sworn and signed before me on this

——————day of ————month ————year

at (place) ————————-.

NOTARY

---

[1] This format of affidavit is common for caste, residence & income certificates. The applicant needs to declare the appropriate clauses.

(परिशिष्ट–4)

कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियां नहीं होने का शपथ–पत्र

AFFIDAVIT

(On Rs. 10/- Non judicial stamp paper or affix Rs. 10/- special adhesive stamp)
[This affidavit is to be sworn by Head of Family of a student on behalf of all members of the family[1]]

I ———————————— S/o Shri ———————————— aged about ———— years having an occupation of ————————, resident of ———————— do hereby solemnly affirm and state on oath as follows.

1. I am the deponent herein as such I am well acquainted with the facts of this affidavit.

2. I submit that I am the permanent resident of ———————————————— (give complete address) of ———————— Tehsil ———————— District.

3. I submit that the value of all immovable property owned by me and my family members is approximately Rs. ————— (figures and words both). The assets available with my family are not sufficient for the purpose of mortgaging it in favour of the bank for the purpose of education loan for my Son/Daughter. Details of immovable properties are as follows-

   (a) Agriculture land ———— acre (khasra no. ———) at ———— village ————— tehsil —————District
   (b) House at ——————— (full address) at ————— village ———— tehsil —————-District

4. The said affidavit is necessary for my son/daughter named ——————— for the purpose of obtaining a Guarantee of the Government of Madhya Pradesh for the purpose of availing loan from a ——————————— (name & full address of the bank) for Higher Education purpose.

5. The above facts stated are true and correct to the best of my knowledge and belief.

6. Hence; this affidavit.

DEPONENT

Sworn and signed before me on this

——————day of ————month ————year

at (place) ————————-.

NOTARY

[1] This format of affidavit is for declaraing mortgageable assets as collateral security in favour of the bank. The applicant needs to declare only the appropriate clauses.

(परिशिष्ट–5)

छानबीन समिति का स्वरूप तथा संदर्भ शर्तें

1. समिति का स्वरूप (प्रत्येक विभाग हेतु पृथक–पृथक)

i. संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव – अध्यक्ष

i. संचालक संस्थागत वित्त – सदस्य

ii. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति – सदस्य

iv. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त/संचालक – सदस्य सचिव

2. समिति की संदर्भ शर्तें

i. योजना हेतु समुचित पाठ्यक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु सूची तैयार करना/संशोधित करना।

i. योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्णय हेतु आवश्यक गुणात्मक मापदण्ड निर्धारित करना (जैसे कि प्रथम आए प्रथम पाएं मेरिट आदि)

ii. योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार कर गुण–दोष के आधार पर उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन करना।

iv. प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना।

(परिशिष्ट–6)

उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा गारंटी जारी करने हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

आवेदन क्र.						आवेदन प्राप्ति का दिनांक
TE / ME / HE / AE						.....

आवेदन पत्र (आवेदक द्वारा भरा जाए)

मप्र.शासन द्वारा गारंटी जारी करने हेतु आवेदन अग्रेषित करने वाले बैंक की जानकारी		विद्यार्थी का फोटोग्राफ
बैंक का नाम, जिसमें शैक्षणिक ऋण हेतु आवेदन दिया गया है:		
बैंक शाखा का नाम एवं पता:		
बैंक में आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक		
बैंक से अपेक्षित कर्ज की राशि	.....	
पाठ्यक्रम जिसके लिये प्रत्याभूति मांगी जा रही है	.....	विद्यार्थी के पिता / माता / अभिभावक का फोटोग्राफ
संस्था का नाम / पता, जहां प्रवेश लिया गया है	.....	
राज्य सरकार से अपेक्षित गारंटी की राशि	.....	

1.	विद्यार्थी का नाम	:	.....
2.	जन्म दिनांक (दिनांक / माह / वर्ष)	:	.....
3.	पिता / संरक्षक / अभिभावक का नाम	:	.....
4.	पिता / संरक्षक / अभिभावक का जन्म दिनांक (दिनांक / माह / वर्ष)	:	.....
5.	पिता / संरक्षक / अभिभावक का पैन कमांक (आयकर विभाग द्वारा जारी)	:	.....
6.	माता का नाम	:	.....

7.	माता का जन्म दिनांक (दिनांक/ माह/ वर्ष)	:	.....
8.	माता का पैन क्रमांक (आयकर विभाग द्वारा जारी)	:	.....
9.	पिता/ माता/ संरक्षक/ अभिभावक का वर्तमान पता	:	.....
10.	पिता/ माता/ संरक्षक/ अभिभावक का स्थायी पता	:	.....
11.	दूरभाष क्रमांक	:	.....
12.	मोबाईल क्रमांक	:	.....
13.	पिता/ माता/ संरक्षक/ अभिभावक का नौकरी/ व्यवसाय करने का पूर्ण विवरण	:	.....
14.	परिवार की वार्षिक आय	:	.....
15.	परिवार में आश्रितों की संख्या	:	.....
16.	परिवार में आय अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या	:	
17.	क्या परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बी.पी.एल.सूची का सदस्य है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दे	:	.....
18.	परिवार के पास बंधक रखने योग्य उपलब्ध आस्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य	:	.....
19.	विद्यार्थी द्वारा कक्षा दसवीं पास करने का विवरण	:	.....
	वर्ष	:	.....
	प्राप्तांक	:	.....
	स्कूल का नाम एवं पूर्ण पता	:	.....
	बोर्ड का नाम	:	.....
20.	विद्यार्थी द्वारा कक्षा बारहवीं पास करने का विवरण	:	.....
	वर्ष	:	.....
	प्राप्तांक	:	.....
	स्कूल का नाम एवं पूर्ण पता	:	.....
	बोर्ड का नाम	:	.....
21.	शैक्षणिक डिस्टिंक्शन/ पुरूस्कार आदि का विवरण	:	.....
22.	प्रवेश परीक्षा का विवरण		
	वर्ष	:	.....
	प्राप्तांक/ रैंक/ ग्रेड	:	.....
	परीक्षा का नाम	:	.....
	परीक्षा आयोजनकर्ता का नाम	:	.....
23. आवश्यक वित्तीय सहायता का विवरण (जो लागू हो कृपया खने भरें)			
अ.	भारत में अध्ययन हेतु		
	वार्षिक सत्र शुल्क	:	.....

	आवश्यक पुस्तकें, लेखन सामग्री, उपस्कर आदि	:	.....
	छात्रावास एवं भोजनालय शुल्क	:	.....
	वार्षिक कुल व्यय राशि	:	.....
	कुल शैक्षणिक अवधि	:	.....
	सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि हेतु आवश्यक कुल राशि	:	.....
	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम योजना अंतर्गत सूचीबद्ध है अथवा नहीं	:	.....
	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित शिक्षण संस्थान योजना अंतर्गत सूचीबद्ध है अथवा नहीं	:	.....
ब.	विदेश में अध्ययन हेतु		
	कुल शिक्षा शुल्क सम्पूर्ण शिक्षा अवधि हेतु	:	.....
	आवश्यक पुस्तकें, लेखन सामग्री, उपस्कर आदि	:	.....
	कुल शैक्षणिक अवधि के दौरान भरण पोषण हेतु आवश्यक राशि	:	.....
	एक तरफ का हवाई/ समुद्री किराया	:	.....
	कुल व्यय राशि	:	.....
	कुल शैक्षणिक अवधि	:	.....
	कुल व्यय राशि के बराबर की विदेशी मुद्रा	:	.....
	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम योजना अंतर्गत सूचीबद्ध है अथवा नहीं	:	.....
	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित शिक्षण संस्थान योजना अंतर्गत सूचीबद्ध है अथवा नहीं	:	.....
		:	.....

आवेदक विद्यार्थी के हस्ताक्षर	पालक के हस्ताक्षर
.....	.....
स्थानः—.....	स्थानः—.....
दिनांकः—.....	दिनांकः—.....

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन कमांक						
आवेदन प्राप्ति का दिनांक	.....					
आवेदन कैसे प्राप्त हुआ	सीधे/बैंक से/शैक्षणिक संस्था से					
नोडल अधिकारी का अभिमत						
गारंटी हेतु पात्रता	हाँ/नहीं					
गारंटी राशि की पात्रता	रू.....					
अनुशंसा	हाँ/नहीं					
नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर	.....					
नोडल अधिकारी का नाम	.....					
दिनांक	.....					
विभागाध्यक्ष का अभिमत						
अनुशंसा	हाँ/नहीं					
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर	.....					
विभागाध्यक्ष का नाम	.....					
दिनांक	.....					

<u>आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने वाले संलग्नकों की सूची–</u>

i. विद्यार्थी की जन्मतिथि की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
ii. विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण हाई–स्कूल, हायर सेकण्डरी और उसके बाद विभिन्न परीक्षाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणित प्राप्तांक सूची
iii. परिवार की वार्षिक आय का शपथ–पत्र (परिशिष्ट–3)
iv. कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियां नहीं होने का शपथ–पत्र (परिशिष्ट–4)
v. शैक्षणिक विशेष योग्यता के लिए छात्रवृत्ति/पुरूस्कार हेतु प्राप्त प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि
vi. विदेश विनिमय आज्ञापत्र की प्रमाणित प्रति यदि वह पहले से ही प्राप्त कर ली गयी है
vii. विदेश विश्वविद्यालय के प्रवेशपत्र की प्रमाणित प्रति यदि शिक्षा विदेश में ग्रहण की जाना है
viii. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु जारी सैद्धांतिक सहमति पत्र की मूल प्रति

(परिशिष्ट–7)

विभाग स्तर पर गारंटी से संबंधित आवश्यक अभिलेख संधारण हेतु निर्धारित पंजी हेतु प्रपत्र

क्र	विवरण	:	जानकारी	
1.	विद्यार्थी का नाम एवं पूरा पता	:		
2	आवेदन क्रमांक एवं दिनांक	:		
3.	बैंक का नाम एवं पूरा पता जिसके पक्ष में शासकीय प्रत्याभूति दी गई है	:		
4.	बैंक द्वारा स्वीकृत कुल ऋण की राशि	:		
5.	बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की ब्याज दर	:		
6.	राज्य शासन द्वारा बैंक के पक्ष में दी गई गारंटी की राशि	:		
7.	राज्य शासन द्वारा बैंक के पक्ष में दी गई गारंटी की अवधि	:		
8.	विद्यार्थी के प्रत्येक वर्ष/ सेमिस्टर में उपलब्धि पास/ फेल/ ब्रेक आदि का विवरण	:		
	प्रथम वर्ष/ सेमिस्टर			
	द्वितीय वर्ष/ सेमिस्टर			
	तृतीय वर्ष/ सेमिस्टर			
	चतुर्थ वर्ष/ सेमिस्टर			
	पंचम वर्ष/ सेमिस्टर			
	छठवां वर्ष/ सेमिस्टर			
	सातवां वर्ष/ सेमिस्टर			
	आठवां वर्ष/ सेमिस्टर			
	नौवां वर्ष/ सेमिस्टर			
	दसवां वर्ष/ सेमिस्टर			
9.	बैंक द्वारा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को भुगतान की गई शुल्क की राशि का विवरण	:	दिनांक	राशि
	प्रथम वर्ष/ सेमिस्टर			
	द्वितीय वर्ष/ सेमिस्टर			
	तृतीय वर्ष/ सेमिस्टर			
	चतुर्थ वर्ष/ सेमिस्टर			
	पंचम वर्ष/ सेमिस्टर			
	छठवां वर्ष/ सेमिस्टर			
	सातवां वर्ष/ सेमिस्टर			
	आठवां वर्ष/ सेमिस्टर			
	नौवां वर्ष/ सेमिस्टर			
	दसवां वर्ष/ सेमिस्टर			
10.	विद्यार्थी द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने पर बैंक को किसी भी एक तिथि तक देय ऋण एवं ब्याज की राशि का आंकलन (बैंक से प्राप्त कर दिनांक एवं मूल ऋण तथा ब्याज की राशि का विवरण)			

11.	ऐसे विद्यार्थी हेतु बैंक को देय ऋण एवं ब्याज की राशि का मांग वित्त विभाग को भेजने का दिनांक	:	
12.	वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण	:	
13.	विभाग द्वारा डिफाल्ट की दशा में वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण	:	

नोटः– प्रत्येक विद्यार्थी हेतु रजिस्टर में एक–एक पृष्ठ पर जानकारी भरी जाय।

(परिशिष्ट–8)

बंध–पत्र का प्रारूप

BOND AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THE BORROWER STUDENT JOINTLY WITH HIS/HER PARENT WITh THE LENDING BANK AND DEPARTMENT

This BOND AGREEMENT is made between the _____ (Borower Name) son/daughter of _____ (full Address) _____ (hereinafter called the "Borower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof includes the successors and assignee) on the first part

And

the _____ (Name and Full address of the Department issuing Guarantee in favour of the bank) on behalf of the Governor of Madhya Pradesh acting through the Commissioner/Director of the said Directorate of the _____ Department (hereinafter called the "Guarantor" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof includes the successors and assignee) on the second part

And

the Branch Manager/Chief Manager of _____ (Lender Bank's name) _____ (full Address) _____ (hereinafter called the "Lender" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof includes the successors and assignee) on the third part

WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh by exercising powers delegated to it under the Madhya Pradesh state Government Guarantee Rules, 2009 has guaranteed repayment of principal amount of loan of Rs. _____ (Amount in Words) only taken by_____(Name of the Borower) from _____ (Name and full address of the bank), and payment of interest thereon together with other charges as under:

Amount of loan	_____
Rate of Interest	_____
Rate of Guarantee Fee	_____
Period of Guarantee	_____

In consideration of the promises and covenants herein contained, the parties hereto agree as follows:

i. The Lender will intimate the Department upon each disbursement of the loan amount within 15 days from the date of disbursement;

ii. The Lender will intimate the Department of any default either of principal amount or interest amount within 15 days from the due date of such payment to the lender(s).

iii. In the event of the Borrower coming to know in advance that it would not be able to pay the dues on due dates, the Borrower will keep the Department informed of such likely default;

iv. The Department will have powers to review periodical performance of the Borrower; and

v. The Department will have the right to recover any payment(s) made to the lenders in case of invocation of guarantee as Arrears of Land Revenue from the borrower.

IN WITNESS WHEREOF, the borrower has set his/her hands to this Agreement and a duplicate thereof as of the day, month and the year noted below:-

On behalf of the Government of Madhya Pradesh
Signature_____
Name _____
Office_____
Date_____
Seal_____

On behalf of the Bank
Signature_____
Name _____
Bank_____
Date_____
Seal_____

Witness No. 1
Name _____
Signature_____
Address_____
Date_____

Witness No. 2
Signature_____
Name _____
Address_____
Date_____

Borrower Student
Signature_____
Name _____
Address_____
Date_____

Borrower Student's Parent
Signature_____
Name _____
Address_____
Date_____